



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1653]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938

No. 1653]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASHADHA 10, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

का. आ. 2283(अ).—इस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2024 (अ), दिनांक 9 जून, 2016, का. आ. 2105 (अ), दिनांक 14 जून, 2016 तथा का. आ. सं. 2148 (अ), दिनांक 17 जून, 2016 के क्रम में तथा हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 15 के साथ पठित धारा 3, 4, 5, 6 तथा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप-धारा (iii) के तहत श्री के. आर. वैदीस्वरन को शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित हो जाने की तारीख से 8 जून, 2019 तक की अवधि के लिए भारतीय हज समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित करती है।

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (15) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(15) श्री के. आर. वैदीस्वरन

पदेन सदस्य"

संयुक्त सचिव,

व्यय विभाग,

वित्त मंत्रालय,

नई दिल्ली

[फा. सं. एम (हज)-1183/20/2015]

असीम आर. महाजन, संयुक्त सचिव (हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

S.O. 2283(E).—In continuation of this Ministry's notifications, S.O. No. 2024 (E), dated 9th June, 2016, S.O. No. 2105(E) dated 14th June, 2016 and S.O. No. 2148(E) dated 17th June, 2016 and in exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5, 6 and 8 read with Section 15 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, hereby nominates Shri K.R. Vaidheeswaran, as an ex-officio member of the Haj Committee of India under sub-section (iii) of Section 4 of the Haj Committee Act, 2002, for a period up to 8th June, 2019 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

In the said notification, serial number (15) and the entries relating thereto, shall be substituted with the following:-

“(15) Shri K. R. Vaidheeswaran, Ex-officio Member”
Joint Secretary
Department of Expenditure
Ministry of Finance
New Delhi.

[F. No. M (Haj)-1183/ 20/2015]

ASEEM R. MAHAJAN, Jt. Secy. (Haj)